

# कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश।

संख्या-एम0ई0-3/यू0जी0-2020/006

लखनऊ:दिनांक 01 जनवरी, 2021

## आवश्यक सूचना

यू0पी0 नीट यू0जी0-2020 के अन्तर्गत मे प्रतिभाग करने वाले ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने सिक्योरिटी धनराशि रु0 30,000/- रु0 1,00,000/- लाख एवं रु0 2,00,000/- लाख के बैंक ड्राफ्ट जमा किया गया है और उन्हे राजकीय/निजी क्षेत्र के मेडिकल/डेण्टल कालेजो की कोई भी सीट आवंटित नही हुई है, ऐसे अभ्यर्थी अपना बैंक ड्राफ्ट जिस नोडल सेन्टर पर जमा किया गया है, वहाँ से जमा की गयी सिक्योरिटी धनराशि सम्बन्धी रसीद मूल रूप में प्रस्तुत कर बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित नोडल सेन्टर से दिनांक 04.01.2021 से 15.01.2021 के मध्य प्राप्त कर सकते है। यदि अभ्यर्थी किन्ही कारणो से नोडल सेन्टर पर उपस्थित नही हो पाता है, तो वह अपने अधिकृत प्रतिनिधि को लिखित रूप में नामित करते हुए स्वयं एवं अधिकृत प्रतिनिधि की आई0डी0 एवं आधार कार्ड प्रस्तुत कर बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित नोडल सेन्टर से प्राप्त कर सकते है।

प्रवेशित अभ्यर्थियो के बैंक ड्राफ्ट सम्बन्धित कालेज जहाँ पर प्रवेश लिया गया है उस कालेज के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे।

  
महानिदेशक